



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-se_plan@rediffmail.com

81

आर. ई. अज-247

कं./ अ.वि.वि.नि.लि./अधी.अभि.(योजना)/ अधि.अभि.(यो)/सहा.अभि.(आर.ई.) अ.ज / फा. -कृ.प./2016-17/प्रे. दिनांक 28-10-16

6245

:: आदेश ::

विषय- कृषि कनेक्शन के भार का सूघन जांच अभियान ।

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुए भार के निरन्तर उपयोग से निगम के विद्युत तंत्र पर अनावश्यक भार पड़ता है व ट्रांसफार्मरों के जलने के प्रकरणों में भी बढ़ोत्तरी होती है एवं निगम को राजस्व की हानि होती है। इस दिशा में निगम द्वारा आदेश क्रमांक अ.वि.वि.नि.लि./अधी.अभि.(योजना)/अधि.अभि.(यो)/सहा.अभि.(आर.ई.) अ.ज/फा. -कृ.प./2016-17/प्रे. 4953 दिनांक 07.9.2016 द्वारा (आर.ई.अज-246) कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत इस योजना की अवधि के दौरान (1 जुलाई 2016 से 30 नवम्बर 2016) कृषि कनेक्शनों का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर केवल धरोहर राशि जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित किये जाने का प्रावधान है । किन्तु यह पाया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना के प्रति कोई रुचि ना दिखा कर उनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कृषि कनेक्शनों के बढ़े हुए भार को नियमित करने के उद्देश्य से सूघन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी क्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 20 नवम्बर 2016 तक अपने अधीनस्थ क्षेत्र के शत-प्रतिशत कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार का सत्यापन किया जाकर उनको नियमित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एन.एल.सालवी)

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

अविविनिलि,अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 2 संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/झुंझुनू/उदयपुर।
- 3 अति./मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/एम.एम. एवं प्रोजेक्ट/एम.एण्ड पी. एवं आई.टी.) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता (सर्तकता),अविविनिलि अजमेर ।
- 5 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ (सी.सी./डी.सी. /भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर ।
- 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 7 सहायक सचिव /निजी सचिव प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

अविविनिलि अजमेर

28/10/16